शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 62/1826/बावन-1-2014-3(6)/10

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 27 जून, 2014

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर के कमेला रोड, कपूरी एवं तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(2)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 30.03.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-2370/52-1-2012-03(6)/10, दिनांक 08 अगस्त, 2012 एवं पत्र संख्या-3702/52-1-12-3(6)/10, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद के कमेला रोड, कपूरी एवं तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के पक्ष में धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(2)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 20.05.2014 से उक्त योजना हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 426.45 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 2,13,21,000/- (रू0 दो करोड तेरह लाख इक्कीस ह□□ मात्र) □□□□□□ सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 71,07,000/- (इक्हत्तर लाख सात हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 2,84,28,000/- (रू0 दो करोड चौरासी लाख अट्ठाइस हजार मात्र) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित बजट रू0 7820.00 लाख के सापेक्ष पारित 04 माह के लेखानुदान में से□

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 284.28 लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यप□□ महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□ □□□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□□0+□□0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		वर्तमान में अवमुक्त □□□ □□□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□□□	□□□□ □□□, सहारनपुर राजकीय इण्□ कालेज का निर्माण	-	-	142.15	47.38	71.08	71.07	23.69	94.76
	,,	कपूरी, □□□□□□□ में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	-	-	142.15	47.38	71.08	71.07	23.69	94.76
	,,	तैय्यबपुर टप्पा □□□□सहारनपुर में राजकीय इ□ कालेज का निर्माण	-	-	142.15	47.38	71.08	71.07	23.69	94.76
		□□□			**426.45**	**142.14**	**213.24**	**213.21**	**71.07**	**284.28**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे□ सक्षम स्तर की स्वीकृ□□, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करके□ ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया □□□□□

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□□□ द्वारा □□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। □□□□ □□□, कपूरी एवं तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण 03 माह में गुणवत्ता □□□□□□ के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय □□□□ सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदे□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था □□ □□□□□, के मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम आफ अ र टेकिंग) □□ हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त □□□□शि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कमेला रोड, कपूरी □□□तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण हेतु निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत □□□□ □□, कपूरी एवं तैय्यबपुर लालू म राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर □ नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। कमेला रो□, कपूरी एवं तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण की विशिष्टियाँ, म□□□, □□□ □□□ उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग □□□धिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक □□□□खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वार ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरद□□ होंगे।

http://gnasanadesh.up.nic.in

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की 2-2 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य [illegible] उपलब्ध [illegible] जायेंगे।

13- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि [illegible] आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 [illegible]-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो।

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 [illegible]- व्यय [illegible] अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर [illegible] परिव्यय-[illegible]-02-[illegible] कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय [illegible] /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0109-**अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टो[illegible] डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल [illegible] इण्टर कालेजों का भ निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष /जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/[illegible]0 25-[illegible]0+[illegible]0)**-24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-849/[illegible]-2014, दिनांक 24.06.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त [illegible]

संख्या (1)/[illegible]-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- [illegible], (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, [illegible]

2- [illegible], (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय 0प्र0, [illegible]

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 [illegible]

4- संयुक्त [illegible], अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां [illegible], पर्यावरण [illegible], [illegible]0[illegible]0 [illegible]0 काम्पलेक्स [illegible], नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत □□□□ □□□, कपूरी एवं तैय्यबपुर टप्पा लालू में राजकीय इण्ा र कालेज का निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्त पूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी के □□□□□□□र्थ।

7- □□□□ □□□□, प्रमुख □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ महोदय के अवलोकनार्थ।

8- □□□□□□, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लर□□□□

9- □□□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,** □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्ष -कक्षों के निर्माण □□ समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□□□ □

12- वित्त (□ □-व्ययर□) □□□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □□□□ □□ □□ □□□ से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट □□ □□□□□ करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा □□,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in